1. विभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त टिप्पणी

उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय एवं हिमालयी भौगोलिक प्रदेश है। प्रदेश के अवस्थापना विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिये सड़कों तथा सेतुओं की सुलभता व सुगमता परम आवश्यक है। इसी कारण राज्य में निर्मित सड़कों एवं सेतुओं को विकास की जीवन रेखा भी कहा जाता है। प्रदेश में अधिसंख्य सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण कार्य तथा समुचित रखरखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश के अवस्थापना विकास में गति प्रदान किये जाने के उद्देश्य सु लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है।

- प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों, ग्रामों, व्यवसायिक मण्डियों, कृषि उत्पाद क्षेत्रों, शैक्षिक संस्थानों, तीर्थ स्थलों एवं पयर्टन स्थलों को सुविधाजनक एवं स्तरीय आवागमन उपलब्ध कराये जाने के लिये मोटर मार्गों एवं सेतुओं का नव निर्माण कार्य।,
- प्रदेश में निर्मित मार्गों एवं सेतुओं का सुधार एवं उच्चीकरण का कार्य।
- प्रदेश में निर्मित मार्गों एवं सेतुओं के उचित रखरखाव का कार्य।
- विभागीय आवासीय/अनावासीय भवनों, पूल्ड आवास भवनों, राज्य सम्पत्ति विभाग के भवनों एवं अन्य विभागों के भवनों का निर्माण तथा रखरखाव कार्य।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा "उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम" (यू0एस0आर0आईपी0) के अन्तर्गत मार्गों का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य।
- केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सड़कों/सेतुओं का निर्माण कार्य।
- राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मार्गों एवं सेतुओं का निर्माण तथा अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य।

संगठनात्मक ढॉचा :–

लोक निर्माण विभाग के संगठनात्मक ढॉचे में प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) का कार्यालय, मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के 5 कार्यालय (मुख्य अभियन्ता–2, पी0एम0जी0एस0वाई0 का निसंवर्गीय पद सहित), सिविल कार्यों से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के 10 कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के 2 कार्यालय, विद्युत/यॉत्रिक कार्यो से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के 2 कार्यालय, वाह्य सहायतित योजना/ए0डी0बी0 पोषित कार्यो से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता के 2 कार्यालय (निसंवर्गीय) एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यो हेतु अधीक्षण अभियन्ता के 4 कार्यालय सृजित किये गये हैं, विभाग में स्वीकृत सिविल कार्यों/राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित कार्यों तथा वि0/यॉ0 कार्यों के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न जनपदों /तहसीलों एवं ब्लॉक स्तर पर कुल 66 अधिशासी अभियन्ता स्तर के कार्यालय (खण्ड) भी सृजित किये गये हैं, इसके अतिरिक्त बाह्य सहायतित योजना एवं ए0डी0बी0 पोषित कार्यों के सम्पादन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के 11 कार्यालय तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 08 विभागीय खण्डों (लो0नि0वि0) की स्थापना भी की गई है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की सूचीः–

लोक निर्माण विभाग द्वारा इंगित महत्वपूर्ण योजनाओं यथाः जिला योजना, राज्य योजना, एस0सी0एस0पी0, टी0एस0पी0, केन्द्रपोषित योजनाओं तथा वाह्य सहायतित/ए0डी0बी0 पोषित योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं, जिनकी वित्तीय स्वीकृति एवं भौतिक प्रगति सम्बन्धी विवरण **संलग्नक–। में** संकलित है।

- **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में महिला सशक्तीकरण हेतु किसी विशिष्ट योजना का प्राविधान नही है, किन्तु विभाग में सृजित तकनीकि/गैर तकनीकि पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में वर्तमान शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये क्षैतिज आधार पर महिलाओं की नियुक्ति की जा रही है।**

(3) विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल (Initiatives):–

- उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के कार्यभार में हुई निरन्तर वृद्वि के दृष्टिगत विभागीय संरचनात्मक ढॉचे में वृद्वि की गई है। वित्तीय वर्ष 2010–11 की तुलनात्मक स्थिति में वर्तमान में प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) का कार्यालय, मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के 2 नये कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता के 4 नये कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता के 15 नें कार्यालयों (खण्डों) का और सृजन हुआ है।
- विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में अपेक्षित गति प्रदान किये जाने तथा निर्माणाधीन कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत विभागीय कार्मिकों (तकनीकि/गैर तकनीकि) के पदों में वृद्वि की गई है, लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्ति प्रकिया प्रचलित है।
- राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन को प्रभावी बनाये जाने तथा उपलब्ध वित्तीय संशाधनों के अनुरूप व्यय को नियंत्रण करने के दृष्टिगत राज्य में 1 अप्रैल, 2012 से पासवर्ड के आधार पर सैन्टर सर्वर के माध्यम से बजट आवंटन की प्रकिया प्रारम्भ की जा चुकी है।
- विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो को राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापरक बनाये जाने तथा पूर्व प्रचलित निविदा प्रकियाओं को अधिक पारदर्शी बनाये जाने के दृष्टिगत ` 1.00 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यो की निविदायें E- Tendering के माध्यम से प्राप्त की जा रही है।
- विभाग में प्रगति आख्याओं हेतु M.I.S (Management Information System) प्रचलन में है, जिससे मासिक प्रगति आख्याओं के संकलन में त्रृटियॉ होने की सम्भावना कम रहती है, एवं कम समय में वॉछित आख्यायें प्राप्त की जा सकती है।
- दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से विभाग में प्रदेश स्तर पर केन्द्रीय श्येड्यूल आफ रेट (एस0ओ0आर0) का प्रचलन लागू किया गया है।
- प्रदेश की सीमित आर्थिक संशाधनों के दृष्टिगत पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत अधिकाधिक योजनाओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजना '' हल्द्वानी–रामनगर मो0 मार्ग के किमी0 54 में कोसी नदी पर प्री–स्ट्रैस कंक्रीट सेतु एवं पहुॅच मार्ग का निर्माण'' लागत ` 19.52 करोड़ निर्माणाधीन है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित 3 महत्वपूर्ण कार्यो: (1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58 के किमी0 152 से 218 (नारसन से मोतीचूर होते हुये नेपाली फार्म तक) (2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72 के किमी0 165.14 से 196.80 (आई0आई0टी0 गेट से नेपाली फार्म तक) (3) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87 के किमी0 44 से 89 (रूद्रपुर से काठगोदाम तक) को भी पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत स्वीकृत कराया जा चुका है, जो कि प्रगति में है।

गतवर्ष की परफॉरमेंन्स की समीक्षा :–

- गत वित्तीय वर्ष 2011–12 की परफॉरमेंन्स (वित्तीय/भौतिक प्रगति) **संलग्नक–2 में** संकलित है।

योजनावार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का विवरण (वर्ष 2012–13) :–

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनावार निर्धारित वित्तीय/भौतिक लक्ष्य तथा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अद्यतन प्रगति का विवरण **संलग्नक–3 में** संकलित है।

वित्तीय समीक्षा :–

- लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित इंगित महत्वपूर्ण योजनाओं (1) जिला सेक्टर (2) राज्य सेक्टर (3) एस0सी0एस0पी0 (4) टी0एस0पी0 (5) केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (6) वाह्य सहायतित/ए0डी0बी0 पोषित कार्यो (7) 13 वॉ वित्त आयोग (8) राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण (9) प्रदेश के मार्गो/सेतुओं का अनुरक्षण (10) आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण (11) वेतन/अधिष्ठान सम्बन्धी मद में वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के अन्तर्गत बजट प्राविधान, व्यय की गई धनराशि एवं वित्तीय प्रगति तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये विभाग द्वारा प्रस्तावित आय–व्ययक का विवरण निम्नानुसार प्रेषित है।

(धनराशि करोड़ ` में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12			वित्तीय वर्ष 2012–13				वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित आय–व्ययक
		बजट प्राविधान	व्यय	व्यय %	बजट प्राविधान	वित्तीय लक्ष्य/मॉग	व्यय (माह, 2/2012 तक)	व्यय % (वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ) प्लान सेक्टर									
1	जिला सेक्टर	87.72	83.90	96	149.00	149.00	61.32	41	160.00
2	राज्य सेक्टर	489.73	461.47	94	507.70	508.10	298.72	59	720.00

3	एस0सी0एस0पी0	110.90	55.95	50	82.40	48.40	30.16	62	85.00

(धनराशि करोड़ ` में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12			वित्तीय वर्ष 2012–13				वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित आय–व्ययक
		बजट प्राविधान	व्यय	व्यय %	बजट प्राविधान	वित्तीय लक्ष्य / मॉग	व्यय (माह, 2 / 2012 तक)	व्यय % (वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	टी0एस0पी0	36.50	14.91	41	22.50	13.50	7.91	59	15.00
5	केन्द्रपुरोनिधानित योजनायें	47.00	47.00	100	155.00	95.00	57.56	61	270.00
6	वाह्य सहायतित योजना	215.00	163.16	76	120.00	120.00	54.48	45	250.00
	योग, प्लान सेक्टर	**986.85**	**826.39**	**84**	**1036.60**	**934.00**	**510.15**	**55**	**1500.00**
	(ब) नॉनप्लान								
7	13 वें वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित कार्य	71.00	70.95	100	78.00	78.00	16.94	22	86.00
8	राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण	35.76	34.33	43	30.00	30.00	10.42	35	40.00
9	प्रदेश के मार्गो / सेतुओं का अनुरक्षण	80.00	78.67	98	88.00	88.00	69.73	79	110.00
10	आवासीय / अनावासीय भवनों का अनुरक्षण (राजभवन देहरादून एवं नैनीताल सहित)	5.75	4.79	83	6.46	11.04	2.89	26	14.00
11	वेतन / अधिष्ठान	243.22	240.89	99	319.71	409.97	274.28	67	415.00
	योग, नॉनप्लान	**435.73**	**429.63**	**99**	**522.17**	**617.01**	**374.26**	**61**	**665.00**
	कुल योग, (प्लान+नॉनप्लान)	**1422.58**	**1256.02**	**88**	**1558.77**	**1551.01**	**884.41**	**57**	**2165.00**